सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 15/17 **निर्णय दिनांकः 04.06.2018**

1. मदन सिंह पुत्र गिरधारी सिंह जाति राजपूत निवासी गोगड़ियावाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. भैराराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बीरमाणा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये उप तहसीलदार, बज्जू।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 23—01—2012
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू

2. अपील संख्या 16/17

1. मदन सिंह पुत्र गिरधारी सिंह जाति राजपूत निवासी गोगड़ियावाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. भैराराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बीरमाणा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये उप तहसीलदार, बज्जू।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 08—10—2014
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू

उपस्थितिः—

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपीलें सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू के आदेश दिनांक 23—01—2012 व आदेश दिनांक 08—10—2014 जिसके द्वारा अपीलांट् को गैर कानूनी तरीके से मिडियम पेच आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक—एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने दोनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 5 जीडब्ल्यूएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 11/10 की 9.08 बीघा भूमि व मुरब्बा नम्बर 11/11 की 9.16 बीघा भूमि के मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 23—01—2012 को चक 5 जीडब्ल्यूएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 11/10 के किला नम्बर 13, 14, 17 ता 19, 20 ता 24 में 9.08 बीघा कमाण्ड भूमि का मिडियम पेच आवंटन किया गया। इसी प्रकार दिनांक 08—10—2014 को चक 5 जीडब्ल्यूएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 11/11 में 9.16 बीघा भूमि का मिडियम पेच आवंटन अपीलाधीन आदेश के माध्यम से किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी

से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का द्वारा वादगत् भूमि रिकार्ड के मुताबिक आराजीराज बताई गई है। जबकि वास्तव में वादगत् भूमि रिकार्ड मे गैर मुमकिन धोरा अंकित बताया गया है। उक्त स्थिति यदि संबंधित पटवारी द्वारा तत्समय ही अंकित कर दी जाती तो उक्त भूमि मिडियम पेच आवंटन नहीं होती

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु शंकरलाल, गैनसिंह, नरूराम आदि को नोटिस जारी किये जाना अंकित किया गया है। तामील कुनिन्दा द्वारा तीनों के नोटिस सार्वजनिक स्थान मंदिर पर चस्पा करना बताया गया है जबकि न्यायालय ने ना तो चस्पांदगी के आदेश दिये थे ना ही मंदिर कोई सार्वजनिक स्थान होता है जहॉ नोटिस चस्पा किया जावे। उक्त मंदिर किस गांव या चक में स्थित है का भी नोटिस में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा बिना तामील के एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि उसके धारण में किसी प्रकार की भूमि नहीं होना अंकित है। सिर्फ इतना लिखा गया है कि उक्त आवंटित भूमि मिलाने पर सिलिंग से कम है जबकि रेस्पोडेन्ट की पत्नी के नाम ग्राम ऊचाईडा तहसील लूणकरनसर में 30.10 बीघा खातेदारी भूमि है। इसीप्रकार रेस्पोडेन्ट के पिता के नाम ग्राम शरह नेताबास तहसील लूणकरनसर में खसरा नम्बर 28/28/2 में 99.1 बीघा, खसरा नम्बर 42/43 में 77.04 बीघा कुल 176.05 बीघा भूमि खातेदारी स्थित है व माता के नाम चक 264—030 आरडीआर के मुरब्बा नम्बर 48/40 में 10 बीघा व मुरब्बा नम्बर 49/33 में 10 बीघा कुल 20 बीघा भूमि खातेदारी निहित है। उक्त समस्त भूमि में रेस्पोडेन्ट का शेयर बनता है तथा समस्त भूमि का शेयर मिलाने पर रेस्पोडेन्ट के पास सिलिंग सीमा से अधिक भूमि बनती है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन करवाया गया है। जबकि वादगत् भूमि प्रारम्भ से ही गैर मुमकिन धोरा अंकित है। लिहाजा ऐसी भूमि का आवंटन नहीं किया जा

सकता था ना ही आवंटन योग्य भूमि थी। ऐसी भूमि का आवंटन धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व धारा 8, 9, 10, 11 में निर्धारित प्रक्रिया का कोई पालना नहीं किया गया है। वादगत् भूमि को गैर मुमकिन से मुमकिन करने का आधिकार अदालत मातहत को अधिकार प्राप्त नहीं था। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि की जॉच नहीं की गई। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन प्रक्रिया को दुषित करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2009 पेज 686, आरआरटी 2012 पेज 338, आरआरडी 1994 पेज 356, आरआरडी 1998 पेज 319 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील में एक तरफ तो अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि गैर मुमकिन धोरा होने से आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्रारम्भ से ही शून्य है। दूसरी तरफ अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है अपने आप में विरोधाभासी कथन है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। यदि वादगत् भूमि मौके पर गैर मुमकिन धोरा है तो ऐसी स्थिति में सरकार को अपील करने का अधिकार हासिल था। जबकि सरकार द्वारा ऐसी केाई अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि यदि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व किसी प्रकार के तथ्यों को रेस्पोडेन्ट द्वारा छिपाया गया है तो नियम 21 के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जैसा की प्रकरण में अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है। अपीलांट की मुख्य आपत्ति की वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व उसे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है इस संबंध में कथन है कि मिडियम पेच आवंटन के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अलग–अलग नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी सूचना सार्वजनिक रूप से जारी किये जाने का प्रावधान आवंटन नियमों में निहित है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को नोटिस दिया जाना अनिवार्य नहीं था। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व सार्वजनिक स्थान पर नोटिस चस्पा करते हुए वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य किसी पक्षकार के उपस्थित नहीं आने पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त अपील मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व पेरशान करने की नियत मात्र से की गई है। जिससे अपीलांट को कोई अधिकार हासिल नहीं होने है क्योंकि अपीलांट अपने स्वयं के कथनों से बाधित है कि वादगत् भूमि मौके पर गैर मुमकिन धोरा दर्ज रिकार्ड है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट एक तरफ तो वादगत् भूमि के tenure tenant बताते है दूसरी तरफ वादगत् भूमि जो कि वर्ष 2012 व 2014 में रेस्पोडेन्ट को आवंटित की गई थी कि जानकारी वर्ष 2017 में होना बता रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के कथन अपने आप में विरोधाभासी कथन है। लिहाजा अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 पार्ट I पेज 185 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 23—01—2012 व 08—10—2014 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 15—03—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

8. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को चक 5 जीडब्ल्यूएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 11/10 की 9.08 बीघा भूमि व मुरब्बा नम्बर 11/11 की 9.16 बीघा भूमि के मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 23—01—2012 को चक 5 जीडब्ल्यूएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 11/10 के किला नम्बर 13, 14, 17 ता 19, 20 ता 24 में 9.08 बीघा कमाण्ड भूमि का मिडियम पेच आवंटन किया गया। इसी प्रकार दिनांक 08—10—2014 को चक 5 जीडब्ल्यूएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 11/11 में 9.16 बीघा भूमि का मिडियम पेच आवंटन अपीलाधीन आदेश के माध्यम से किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि मौके पर गैर मुमकिन धोरा रिकार्ड में दर्ज है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को नहीं किया जा सकता था। लिहाजा रेस्पोडेन्ट के वादगत् भूमि के आवंटन निरस्त किये जावे।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन धोरा अंकित है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन किसी भी स्थिति में नहीं

किया जा सकता है। इस संबंध में पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट अंकित नहीं की गई ना ही अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर किया गया क्या वादगत् भूमि शूद्व रूप से आवंटन के लिए उपलब्ध है अथवा नहीं? ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो भूमि मौके पर गैर मुमकिन धोरा हेतु आरक्षित थी तथा आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश प्रारम्भ से ही शून्य एवं एब ईनिशियों वाईड आदेश है।

(4) अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मिडियम पेच आवंटन के तहत किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अंकित किया गया है कि उक्त मुरब्बों के आवंटन हेतु अन्य तीन आवेदकों के नोटिस सार्वजनिक स्थान पर मंदिर पर चस्पा किये गये। जबकि मिडियम पेच आवंटन के तहत यह अनिवार्य है कि आवंटन से पूर्व सभी चिपते काश्तकारों को व अन्य काश्तकारों को नियमानुसार नोटिस जारी किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा मात्र खानापूर्ति करने के उद्वेश्य मात्र से नोटिस जारी करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जो स्पष्ट रूप से मिडियम पेच आवंटन नियमों के विपरीत साबित है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो किसी भी प्रकार से आवंटन नहीं की जा सकती थी ना ही आवंटन हेतु उपलब्ध थी। अदालत मातहत का उक्त कृत्य मात्र अपीलांट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से किया गया प्रतीत होता है।

(5) प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपने धारण की भूमि को छिपाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन अपने पक्ष में करवाया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2002 पार्ट ाा पेज 1109 में अभिनिर्धारित किया गया है किः—

Allottees have not given, details of the land and concealed the facts-Therefore allotment comes with the perview of fraud and misrepresentation- Subordinate Courts not committed any error in cancelling the allotment. मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

(6) प्रकरण में आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन अनियमितता बरतते हुए किया गया है— चाहे उक्त आवंटन कितना भी व्यवहारिक व सदेच्छा से किया गया हो, या उक्त आवंटन डीएलसी रेट से किया गया हो, परन्तु अदालत मातहत का उक्त कृत्य उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को दूषित व दुराभिसंधि को प्रकट करता है। हमने पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा यह निष्कर्षित हुआ कि आवंटन अधिकारी का कार्य भले ही सद्भाविक हो किन्तु वह न्याय की दृष्टि से अधिकार ब्राह होने से नियम विरूद्व व अपारदर्शी श्रेणी का है।

(7) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शे का भी अवलोकन किया। उक्त नक्शे के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के करीब नहर बीडी चालू है। ऐसी स्थिति में आवंटन नियमों के तहत बीडी नहर के 100 फुट दूरी तक की भूमि अनिवार्य वनपट्टी हेतु आरक्षित भूमि होती है तथा उक्त भूमि का आवंटन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। संबंधित पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उक्त तथ्य को नजरअंदाज किया गया है ना ही अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य पर अपना ध्यान आकृषित किया गया है। इस प्रकार संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट अवैद्य व अपीलार्थी को अनुचित लाभ पहुॅचाने की दृष्टि से तैयार की गई प्रतीत होती है। चूंकि अपीलांट का आवंटन —उपनिवेशन अधिनयिम की धारा 14 के तहत मध्यम पट्टी आवंटन का है, जो मूल आवंटन या वैद्यतः धारित भूमि जो लधु या मध्यम पट्टी से चिपती या लगती संपार्शिवक भूमि है। अपीलार्थी को मध्यम पट्टी भूमि का आवंटन ही मूलतः गैर मुमकिन धोरा क्षेत्र का होने के कारण आरम्भतः शून्य व अवैद्य प्रकृति का है।

(8) प्रकरण में जहॉ तक रेस्पोडेन्ट का कथन कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार हासिल नहीं है ना ही अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त है। यदि वादगत् भूमि मौके पर गैर मुमकिन धोरा अंकित है तो ऐसी स्थिति में सरकार को अपील करने का अधिकार था ना की अपीलांट को। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो राजस्व रिकार्ड व मौके पर गैर मुमकिन धोरा अंकित है जिसका आवंटन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन ही प्रारम्भ से शून्य व एब ईनिशियो वाईड है। लिहाजा रेस्पोडेन्ट के उक्त कथन को कि अपीलांट को अपील लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है, कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपीलें स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बज्जू के आदेश दिनांक 23—01—2012 व दिनांक 08—10—2014 निरस्त किये जाते है।

10. निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर